

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक ५०३५७/निस/२/१७

जयपुर दिनांक : २८-८-१७

:: आदेश ::

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3)विभाग में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 6 (17) प्र.सु.अनु. 3/94 दिनांक 23.4.1994 के अनुसार राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से चलाए जाने वाली जनसंख्या परियोजना आई.पी.पी.-नवम् के तहत "राज्य स्तरीय अधिकारी सम्पन्न समिति" का गठन किया गया था। यह परियोजना 31.3.2001 को समाप्त हो चुकी है।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.7.2017 को आयोजित बैठक में सम्मेलित/विलोपित किये जाने योग्य कमेटियों की विभगवार समीक्षा में निर्णय के संबंध में विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई जन संख्या परियोजना आई.पी.पी.-नवम् के तहत 'राज्य स्तरीय अधिकारी सम्पन्न समिति' को परियोजना समाप्ति के कारण विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(पारस चन्द जैन)

शासन उप सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहीम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज.जयपुर
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)
8. निजी सचिव शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
9. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-5)विभाग।
10. निदेशक(जन स्वा./आरसीएच/)/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज.जयपुर
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान,
14. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
15. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
16. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु
17. रक्षित पत्रावली।

(पारस चन्द जैन)

शासन उप सचिव